BSES Yamuna Power Limited
Regd. Off.: Shakti Kiran Building, Karkardooma, Delhi - 110092

BSES

BSES Rajdhani Power Limited
Regd. Off.: BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi - 110019

सार्वजनिक सूचना

बिल्डिंगों, ढांचों, बाल्कनियों, बरामदों, छतों, छज्जों आदि को बिजली के मेन्स या अन्य चीज़ों से दूर हटाना।

हम एतद् द्वारा मालिकों/निवासियों एवं जन–साधारण का, जिन्होंने अधिकृत बिजली मेन्स या बिजली की अन्य चीज़ों के निर्माण के दौरान या उसके पश्चात अपनी बिल्डिंग्स, ढांचों, प्रॉजैक्शन्स, बाल्कनियों या चारदीवारियों आदि को बढ़ाया है, भारतीय बिजली नियम–1956 के नियम 79 एवं 80 की धाराओं तथा बिजली कानून, 2003 (धारा 53 व 68 (5) धारा 161 के साथ पढ़ा जाए) की ओर ध्यान दिलाना चाहते है।

भारतीय बिजली नियम, 1956 के नियम 79 व 80 के अनुसार, किसी दुर्घटना या घातक दुर्घटना से बचने के लिए यह अनिवार्य है कि बिजली के मेन्स या बिजली की अन्य चीजों से, ऊपरी या समतल स्तर पर निम्न न्यूनतम दूरी अवश्य रखी जाए।

क्रम सं.	लाइंस/अन्य चीजें	न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन एक बिल्डिंग/ढांचे/बाल्कनी आदि के ऊपर से गुज़रती है	न्यूनतम समतल दूरी जहां लाइन एक बिल्डिंग/ढांचे बाल्कनी आदि के निकट से गुज़रती हो
1	न्यून से मध्यम वोल्टेज लाइन तथा 650 वोल्ट तक की सर्विस लाइंस	उच्चतम प्वाइंट से 2.5 मीटर	निकटतम प्वाइंट से 1.2 मीटर
2	उच्च वोल्टेज लाइन 11000 वोल्ट तक व सहित	उच्चतम प्वाइंट से 3.7 मीटर	निकटतम प्वाइंट से 1.2 मीटर
3	उच्च वोल्टेज लाइन 11000 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट तक व सहित	उच्चतम प्वाइंट से 3.7 मीटर	निकटतम प्वाइंट से 2 मीटर
4	बहुत अधिक उच्च वोल्टेज लाइन 33000 वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)	2 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)

मालिकों/ निवासियों को इस सार्वज़निक सूचना के माध्यम से सलाह दी जाती है कि वे अनाधिकृत ढांचे, बिल्डिंग्स, प्रॉजैक्शन्स, बाल्कनियां, चारदीवारियां आदि तुरंत हटा दें, जो कि बिजली के मेन्स/अन्य चीजों से न्यूनतम दूरी (जैसा कि ऊपर बताया गया है) का पालन नहीं करते, अन्यथा म्यूनिसिपल प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों द्वारा इन अवैध ढांचों को हटाने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जाएगी।

आगे, गौर किया जाए कि ऐसे उल्लंघनकर्ता किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष नुकसान (जीवन, संपत्ति आदि) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार समझे जाएंगे और कानून के मुताबिक उन पर कार्यवाही की जाएगी।